

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-103

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

देश में विद्युत उपलब्धता की स्थिति

\*103. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कई राज्य, विशेषकर महाराष्ट्र ईंधन की अनुपलब्धता और कानून में परिवर्तन के कारण कानूनी चुनौतियों के कारण बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) सरकार देश में बिजली की भारी कमी को झेल रहे राज्यों, विशेषतः महाराष्ट्र में बिजली की समस्या को हल करने के लिये क्या-क्या कदम उठा रही है; और
- (घ) सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान देश में बिजली उत्पादन की क्षमता को दुगुना करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"देश में विद्युत उपलब्धता की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 103 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : विद्युत की कमी विद्युत की मांग और आपूर्ति के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष (अप्रैल से अक्टूबर, 2014) के दौरान महाराष्ट्र में ऊर्जा और व्यस्ततम कमी क्रमशः 1.6% और 5.2% थी जबकि अखिल भारतीय ऊर्जा और व्यस्ततम कमी क्रमशः 4.1% तथा 4.7% थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष 2014-15 (अप्रैल, 2014 से अक्टूबर, 2014) में ऊर्जा और व्यस्ततम कमी का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

उत्पादक यूटिलिटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 31 अक्टूबर, 2014 तक कोयला आधारित ताप संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन 458.782 बिलियन यूनिट (बीयू) था जबकि कोयले की कमी के कारण उत्पादन की क्षति 2.566 बिलियन यूनिट (बीयू) थी। इसमें से महाराष्ट्र में केवल 0.5 बीयू की क्षति थी।

महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 15.06.2014 के पत्र के द्वारा सूचित किया था कि उनके द्वारा जो विद्युत क्रय करार (पीपीए) किए गए थे और बोलियों को अंतिम रूप दिया गया था, उसके पश्चात कानून में बदलाव के कारण वे कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे थे और उनमें ईंधन की उपलब्धता संबंधी मुद्दे भी थे। तथापि, इस समय महाराष्ट्र में कोयले की कमी के कारण कोई यूनिट बंद नहीं है।

(ग) और (घ) : केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में विद्युत समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(i) 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक 18वें ईपीएस द्वारा प्रस्तावित मांग को पूरा करने के लिए 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में से महाराष्ट्र राज्य को संभावित लाभ 11,275.5 मेगावाट होगा।

- (ii) 12वीं योजना के लिए 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइनों तथा 2,82,740 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की तुलना में 45,570 सीकेएम पारेषण लाइनों तथा 1,56,354 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता अक्टूबर, 2014 तक प्राप्त की जा चुकी है।
- (iii) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी में चौबीस घंटे सारतों दिन सभी के लिए विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की पहल की है।
- (iv) पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने तथा लाइनों की हानि कम करने के लिए उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क्स को सुदृढ़ करने और कृषि से संबंधित फीडर्स को अलग करने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम नामक दो नई स्कीमें अनुमोदित की हैं।
- (v) मौजूदा विद्युत स्टेशनों के संयंत्र भार घटक में सुधार करने के लिए संबंधित राज्य और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा पुराने विद्युत संयंत्रों के पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) की योजना बनाई गई है।
- (vi) ताप संयंत्रों द्वारा वर्धित उत्पादन के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में अंतर को कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके तथा कोयले के आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
- (vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- (viii) राज्य वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।
- (ix) उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुकर बनाने हेतु पर्यावरण तथा वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

\*\*\*\*\*

"देश में विद्युत उपलब्धता की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2014 - अक्टूबर, 2014				अप्रैल, 2014 - अक्टूबर, 2014			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम माँग (मेगावाट)	व्यस्ततम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	1,077	1,077	0	0	367	367	0	0
दिल्ली	19,843	19,739	-104	-0.5	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	30,237	30,105	-132	-0.4	9,152	9,152	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	5,174	5,115	-59	-1.1	1,316	1,313	-3	-0.2
जम्मू व कश्मीर	8,880	7,107	-1,773	-20.0	2,521	2,017	-504	-20.0
पंजाब	34,385	33,905	-480	-1.4	11,534	10,023	-1,511	-13.1
राजस्थान	37,423	37,015	-408	-1.1	10,188	10,077	-111	-1.1
उत्तर प्रदेश	64,164	53,633	-10,531	-16.4	15,670	13,003	-2,667	-17.0
उत्तराखण्ड	7,383	7,121	-262	-3.5	1,883	1,833	-50	-2.7
उत्तरी क्षेत्र	2,08,566	1,94,817	-13,749	-6.6	51,977	47,642	-4,335	-8.3
छत्तीसगढ़	12,595	12,425	-170	-1.3	3,759	3,350	-409	-10.9
गुजरात	56,486	56,463	-23	0.0	13,603	13,499	-104	-0.8
मध्य प्रदेश	30,408	30,116	-292	-1.0	8,413	8,395	-18	-0.2
महाराष्ट्र	80,367	79,076	-1,291	-1.6	20,724	19,654	-1,070	-5.2
दमन एवं दीव	1,249	1,249	0	0.0	297	297	0	0.0
दादर नागर हवेली	3,140	3,138	-2	-0.1	679	679	0	0.0
गोवा	2,418	2,383	-35	-1.4	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	1,86,663	1,84,850	-1,813	-1.0	44,166	42,757	-1,409	-3.2
आंध्र प्रदेश	38,482	35,684	-2,798	-7.3	7,144	6,549	-595	-8.3
तेलंगाना	22,365	20,254	-2,111	-9.4	7,791	6,648	-1,143	-14.7
कर्नाटक	35,315	33,424	-1,891	-5.4	10,001	9,503	-498	-5.0
केरल	12,922	12,679	-243	-1.9	3,760	3,495	-265	-7.0
तमिलनाडु	57,366	55,780	-1,586	-2.8	13,663	13,498	-165	-1.2
पुडुचेरी	1,474	1,449	-25	-1.7	389	348	-41	-10.5
लक्षद्वीप	28	28	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	1,67,924	1,59,270	-8,654	-5.2	39,094	35,698	-3,396	-8.7
बिहार	10,548	10,268	-280	-2.7	2,992	2,792	-200	-6.7
डीवीसी	11,118	10,808	-310	-2.8	2,653	2,590	-63	-2.4
झारखण्ड	4,418	4,291	-127	-2.9	1,060	1,037	-23	-2.2
ओडिशा	16,092	15,794	-298	-1.9	3,857	3,807	-50	-1.3
पश्चिम बंगाल	29,918	29,739	-179	-0.6	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	228	228	0	0.0	82	82	0	0.0
अंडमान-निकोबार	140	105	-35	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	72,322	71,128	-1,194	-1.7	16,909	16,609	-300	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	391	348	-43	-11.0	139	126	-13	-9.4
असम	5,259	4,767	-492	-9.4	1,380	1,257	-123	-8.9
मणिपुर	386	368	-18	-4.7	141	138	-3	-2.1
मेघालय	1,043	875	-168	-16.1	335	297	-38	-11.3
मिजोरम	258	241	-17	-6.6	87	82	-5	-5.7
नागालैंड	376	356	-20	-5.3	140	118	-22	-15.7
त्रिपुरा	726	642	-84	-11.6	310	266	-44	-14.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	8,439	7,597	-842	-10.0	2,528	2,141	-387	-15.3
अखिल भारत	6,43,914	6,17,662	-26,252	-4.1	1,48,166	1,41,160	-7,006	-4.7

# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडएलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के ऊर्जा संबंधी आंकड़ों में अप्रैल-मई, 2014 की अवधि के लिए अविभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) के आंकड़े शामिल हैं। तेलंगाना के ऊर्जा संबंधी आंकड़े जून, 2014 से हैं। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के व्यस्ततम आंकड़े जून, 2014 से हैं। ऐसा जून, 2014 से आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में विभाजन के कारण है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-118

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों का कोयला भंडार

\*118. डॉ. के. पी. रामालिंगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों के कोयला भंडार की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है क्योंकि आधे से ज्यादा उत्पादन केन्द्रों के पास एक हफ्ते से भी कम का ईंधन भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष में विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति में सुधार आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"ताप विद्युत संयंत्रों का कोयला भंडार" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 118 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : दिनांक 23.11.2014 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मॉनिटर किए जा रहे 103 कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों में से 26 थर्मल पावर संयंत्रों में चार दिनों से कम का कोयला भंडार है। इनकी सूची अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। चालू वर्ष (अप्रैल-अक्तूबर, 2014) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 276.2 मिलियन टन (एमटी) कोयले की प्राप्ति की तुलना में, 303.75 मिलियन टन कोयले की प्राप्ति हुई थी जो कि विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति में लगभग 10% की वृद्धि दर्शाता है।

\*\*\*\*\*

"ताप विद्युत संयंत्रों का कोयला भंडार" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों के कोयला भंडार की स्थिति  
(चार दिन से कम का भंडार)  
(23 नवंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र/राज्य	थर्मल पावर स्टेशन का नाम
दिल्ली	
1	बदरपुर टीपीएस
हरियाणा	
2	इंदिरा गांधी एसटीपीपी
पंजाब	
3	राजपुरा टीपीपी
उत्तर प्रदेश	
4	ओबरा टीपीएस
5	परीछा टीपीएस
6	रिहंद एसटीपीएस
7	सिंगरौली एसटीपीएस
8	टांडा टीपीएस
9	ऊंचाहार टीपीएस
छत्तीसगढ़	
10	कोरबा-II
11	कोरबा एसटीपीएस
12	सीपत एसटीपीएस
मध्य प्रदेश	
13	श्री सिंगाजी टीपीपी
14	विंध्याचल एसटीपीएस
महाराष्ट्र	
15	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस
16	कोराडी टीपीएस
17	पर्ली टीपीएस
18	पारस टीपीएस
आंध्र प्रदेश	
19	डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस
20	रायलसीमा टीपीएस
कर्नाटक	
21	रायचूर टीपीएस
22	बेल्गारी टीपीएस
बिहार	
23	मुजफ्फरपुर टीपीएस
झारखण्ड	
24	बोकारो 'बी' टीपीएस
25	चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस
पश्चिम बंगाल	
26	न्यू कोसीपोर टीपीएस

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-119

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि

\*119. श्रीमती शशिकला पुष्पा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पारेषण और वितरण के दौरान हुई हानि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार पारेषण और वितरण में होने वाली हानि को कम करने का विचार रखती है;
- (ग) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और
- (घ) पारेषण और वितरण में होने वाली हानि में कमी करने के लिए क्या-क्या अतिरिक्त प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*



"पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 119 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) : ग्रिड हानियों के उपाय के रूप में पारेषण एवं वितरण हानियों के स्थान पर बेहतर स्पष्टता के लिए ए टी एंड सी हानियाँ रखी गई थीं। राजस्व संग्रह में हानि के साथ पारेषण एवं वितरण हानियाँ हमें सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए टी एंड सी) हानियाँ देती हैं। विभिन्न राज्यों में 2010-11 से 2012-13 तक ए टी एंड सी हानियों का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है। 2013-14 और 2014-15 के लिए लेखा परीक्षित ब्यौरा राज्यों से अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : वितरण नेटवर्क में ए टी एंड सी हानियों को कम करने का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से राज्य सरकारों और विद्युत विभागों/विद्युत यूटिलिटीयों का होता है। तथापि, ए टी एंड सी हानियों को कम करने को सुकर बनाने के लिए, भारत सरकार ने पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) शुरू किया। इस कार्यक्रम में हानि को सतत् रूप से कम करने की दृष्टि से वास्तविक, प्रदर्शनीय निष्पादन पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम के दो प्रमुख घटक अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमीकरण हेतु भाग (क) और उप-पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण के लिए भाग (ख) हैं।

विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों से परामर्श करके वर्ष 2021-22 तक ए टी एंड सी हानि को कम करने के लिए ट्रेजेक्टरी को अंतिम रूप दिया है जो अनुबंध-11 के रूप में संलग्न है।

(घ) : विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार लाने और चौबीसों घंटे सातों दिन विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने और ए टी एंड सी हानियों को कम करने के लिए सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित नई स्कीमें शुरू की हैं:

(i) दीनदायल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई): यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने के लिए है। इस स्कीम में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना तथा उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण एवं संवर्धन शामिल है।

(ii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस): यह स्कीम शहरी क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना में सुधार लाने के लिए है। इस स्कीम में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं, फीडरों और वितरण ट्रांसफार्मर स्तरों पर मीटरिंग सहित उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण एवं संवर्धन शामिल है।

\*\*\*\*\*

"पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वितरण यूटिलिटीयों की ए टी एंड सी हानियाँ (%)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2010-11	2011-12	2012-13
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	47.44	59.24	59.40
		एनबीपीडीसीएल			50.76
		एसबीपीडीसीएल			45.77
	बिहार कुल		47.44	59.24	54.63
	झारखण्ड	जेएसईबी	46.79	42.77	47.49
	झारखण्ड कुल		46.79	42.77	47.49
	ओडिशा	सेसू	49.30	46.15	43.61
		नेसको	38.47	39.54	39.61
		सेसको	54.12	52.60	49.36
		वेसको	43.84	43.46	41.87
	ओडिशा कुल		45.60	44.66	42.94
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	65.46	58.32	53.51
	सिक्किम कुल		65.46	58.32	53.51
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	27.40	32.90	34.43
	पश्चिम बंगाल कुल		27.40	32.90	34.43
पूर्वी कुल			38.75	41.80	42.06
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	61.45	65.55	60.26
	अरुणाचल प्रदेश कुल		61.45	65.55	60.26
	असम	एपीडीसीएल	28.71	29.47	31.85
	असम कुल		28.71	29.47	31.85
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	40.17	44.80	85.49
	मणिपुर कुल		40.17	44.80	85.49
	मेघालय	एमईईसीएल	51.63	44.85	
		एमईपीडीसीएल			26.60
	मेघालय कुल		51.63	44.85	26.60
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	43.09	36.59	27.55
	मिजोरम कुल		43.09	36.59	27.55
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	49.73	22.85	75.30
	नागालैंड कुल		49.73	22.85	75.30
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	34.48	33.76	33.85
	त्रिपुरा कुल		34.48	33.76	33.85
पूर्वोत्तर कुल			37.13	35.15	37.60
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	15.80	16.65	15.16
		बीएसईएस यमुना	18.13	25.54	17.94
		टीपीडीडीएल	13.75	15.67	13.12
	दिल्ली कुल		15.76	18.56	15.22
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	26.29	27.53	28.31
		यूएचबीवीएनएल	29.85	29.06	36.97
	हरियाणा कुल		28.02	28.27	32.55
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	35.48		
		एचपीएसईबी लिमिटेड	10.12	18.04	9.53
	हिमाचल प्रदेश कुल		14.70	18.04	9.53
	जम्मू व कश्मीर	जे एण्ड के पीडीडी	72.86	71.16	60.87
	जम्मू व कश्मीर कुल		72.86	71.16	60.87
	पंजाब	पीएसपीसीएल	19.64	18.96	17.66
	पंजाब कुल		19.64	18.96	17.66
	राजस्थान	एवीवीएनएल	26.80	28.12	19.90

		जेडीवीवीएनएल	22.55	23.83	18.97
		जेवीवीएनएल	24.73	23.18	20.91
	राजस्थान कुल		24.66	24.81	20.00
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	41.81	40.50	45.69
		केसको	41.45	30.48	37.61
		एमवीवीएन	46.44	44.42	45.83
		पश्चिम वीवीएन	34.64	35.95	33.39
		पूर्व वीवीएन	53.31	52.37	52.37
	उत्तर प्रदेश कुल		42.94	41.95	42.85
	उत्तराखण्ड	उत्तरांचल पीसीएल	28.48	25.84	23.18
	उत्तराखण्ड कुल		28.48	25.84	23.18
उत्तरी कुल			30.18	30.34	28.84
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	20.56	17.77	15.64
		एपीईपीडीसीएल	14.51	10.53	9.90
		एपीएनपीडीसीएल	16.07	17.26	13.09
		एपीएसपीडीसीएल	14.20	12.19	12.74
	आंध्र प्रदेश कुल		17.50	15.27	13.63
	कर्नाटक	बेस्कॉम	22.75	22.57	20.45
		चेस्कॉम	28.73	28.99	30.42
		गेस्कॉम	25.75	23.96	18.28
		हेस्कॉम	26.22	23.62	20.44
		मेस्कॉम	13.75	17.94	14.57
	कर्नाटक कुल		23.71	23.29	20.78
	केरल	केएसईबी	14.09	12.17	10.53
	केरल कुल		14.09	12.17	10.53
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	14.43	18.91	9.13
	पुडुचेरी कुल		14.43	18.91	9.13
	तमिलनाडु	टीएनईबी	19.90		
		टांगैडको	18.85	21.70	20.72
	तमिलनाडु कुल		19.49	21.70	20.72
दक्षिणी कुल			19.21	18.89	17.24
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	28.84	29.05	25.12
	छत्तीसगढ़ कुल		28.84	29.05	25.12
	गोवा	गोवा पीडी	14.08	15.12	14.14
	गोवा कुल		14.08	15.12	14.14
	गुजरात	डीजीवीसीएल	13.08	13.14	10.40
		एमजीवीसीएल	14.83	14.40	14.94
		पीजीवीसीएल	26.75	28.03	30.41
		यूजीवीसीएल	7.20	14.01	14.37
	गुजरात कुल		16.89	19.26	19.87
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	43.95	45.85	29.97
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	31.12	34.43	28.16
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	37.99	34.94	36.40
	मध्य प्रदेश कुल		37.28	38.26	31.15
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	23.30	21.63	21.95
	महाराष्ट्र कुल		23.30	21.63	21.95
पश्चिमी कुल			24.47	24.81	23.36
सकल योग			26.35	26.63	25.38

स्रोत: पीएफसी

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

"पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**2021-22 तक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए टी एंड सी) हानियों (%) की ट्रैजेक्टरी**

राज्य	स्रोत:पीएफसी	वर्ष-वार प्रक्षेपण								
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आंध्र प्रदेश	13.63	13.38	13.13	12.88	12.58	12.28	12.00	12.00	12.00	12.00
अरुणाचल प्रदेश	60.26	56.76	53.26	49.76	46.26	42.76	39.26	36.00	33.00	30.00
असम	31.85	29.85	28.35	26.85	25.35	23.85	22.00	20.00	18.50	17.00
बिहार	54.63	50.63	46.63	42.63	38.13	34.00	30.00	27.00	24.00	21.00
छत्तीसगढ़	25.12	24.48	22.37	20.66	19.07	17.49	16.17	15.11	14.52	14.00
दिल्ली	15.22	14.72	14.22	13.97	13.72	13.22	13.00	12.50	12.25	12.00
गोवा	14.14	13.89	13.64	13.39	13.14	12.64	12.00	12.00	12.00	12.00
गुजरात	19.87	18.87	17.87	16.87	15.87	15.37	15.00	14.50	14.25	14.00
हरियाणा	32.55	30.05	27.55	24.55	21.55	19.55	18.00	17.00	16.00	15.00
हिमाचल प्रदेश	9.53	14.50	13.50	12.50	11.50	10.50	10.00	10.00	10.00	10.00
जम्मू व कश्मीर	60.87	55.87	51.87	47.87	43.87	39.87	35.00	30.00	26.00	22.00
झारखण्ड	47.49	43.49	39.49	36.49	32.49	29.49	27.00	24.00	21.00	18.00
कर्नाटक	20.78	18.25	17.90	17.43	16.86	16.29	15.72	15.15	14.57	14.00
केरल	10.53	11.15	10.80	10.50	10.25	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
मध्य प्रदेश	31.15	27.65	25.15	23.15	21.15	19.15	17.00	16.00	15.00	15.00
महाराष्ट्र	21.95	20.45	18.95	17.45	16.45	15.45	15.00	14.50	14.25	14.00
मणिपुर	85.49	78.49	71.49	64.49	56.49	48.00	40.00	34.00	28.00	22.00
मेघालय	26.60	33.11	31.29	29.79	28.29	26.79	25.29	23.79	22.29	20.79
मिजोरम	27.55	27.02	26.14	25.77	24.59	23.49	22.13	21.13	19.75	18.62
नागालैंड	75.30	67.21	64.21	59.21	53.21	47.21	41.21	35.21	29.21	24.21
ओडिशा	42.94	38.94	37.00	35.00	33.00	30.50	28.00	25.50	23.00	20.50
पुडुच्चेरी	9.13	19.00	18.00	17.00	16.00	15.00	14.00	13.00	12.00	11.00
पंजाब	17.66	17.16	16.66	16.16	15.66	15.16	15.00	14.50	14.25	14.00
राजस्थान	20.00	19.00	18.00	17.00	16.00	15.50	15.00	15.00	15.00	15.00
सिक्किम	53.51	49.51	45.51	41.51	37.51	33.51	29.00	26.00	23.00	20.00
तमिलनाडु	20.72	20.22	19.72	19.22	18.97	18.72	18.47	18.22	18.00	18.00
तेलंगाना			13.13	12.88	12.58	12.28	12.00	12.00	12.00	12.00
त्रिपुरा	33.85	29.85	27.35	24.85	22.35	20.85	20.00	18.00	17.00	16.00
उत्तर प्रदेश	42.85	38.85	34.85	31.85	28.85	25.85	22.85	20.00	17.00	15.00
उत्तराखण्ड	23.18	21.68	20.18	18.68	17.68	16.68	16.00	15.00	14.50	14.00
पश्चिम बंगाल	34.43	30.51	29.00	28.00	26.00	24.00	23.00	22.00	21.50	21.00
	25.38	23.70	22.17	20.85	19.52	18.31	17.27	16.36	15.57	14.95

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-854

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

रामागुंडम में ताप विद्युत संयंत्र

854. श्री देवेन्द्र गौड टी.:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एन.टी.पी.सी. ने रामागुंडम क्षेत्र में 4,000 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या रामागुंडम में 1000 एकड़ की अतिरिक्त भूमि विद्युत संयंत्र के लिए पर्याप्त है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) यदि नहीं, तो एन.टी.पी.सी. इस पर किस प्रकार आगे बढ़ने की योजना बना रही है; और
- (च) इस संयंत्र के कब तक चालू होने की संभावना है और इसके चालू होने में कितना व्यय होने का अनुमान है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की तेरहवीं अनुसूची के अनुसार, "एनटीपीसी आवश्यक कोयला लिंकेज की स्थापना के पश्चात उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में 4000 मेगावाट की विद्युत सुविधा की स्थापना करेगी"।

उपर्युक्त के अनुसार, एनटीपीसी ने 2X800 मेगावाट (स्टेज-I) और 3X800 मेगावाट (स्टेज-II) के दो चरणों में 4000 मेगावाट की क्षमता वाले नए विद्युत स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

एनटीपीसी द्वारा 31.10.2014 को स्टेज-I (2X800 मेगावाट) के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित की गई है।

रामागुण्डम एसटीपीपी के उपलब्ध स्थान से सटी हुई 230 एकड़ भूमि है, जिसका उपयोग स्टेज-I (2X800 मेगावाट) के लिए मुख्य संयंत्र सुविधाओं के लिए किया जाएगा। तथापि, ऐश डाइक के लिए लगभग 400 एकड़ और ऐश पाइप कारीडोर के लिए लगभग 50 एकड़ अतिरिक्त भूमि की भी आवश्यकता है।

स्टेज-II (3X800 मेगावाट) के लिए ऐश पॉण्ड सहित संयंत्र सुविधाओं के लिए लगभग 1600 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

(ग) से (ङ.) : जी, नहीं। रामागुण्डम में 1000 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि के ब्यौरे और एनटीपीसी की आगे बढ़ने की योजना के संबंध में ब्यौरे ऊपर दिए गए हैं।

(च) : चालू होने के कार्यक्रम और संभावित व्यय की गणना केवल परियोजनाओं के निवेश अनुमोदन के पश्चात की जा सकती है, जिसे अभी प्रदान किया जाना है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-855

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत कंपनियों को करावकाश

855. श्री बैष्णव परिडा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विद्युत उत्पादन में तीव्रता लाने के लिए कंपनियों को आगे बढ़ने में उनकी सहायता करने हेतु उन्हें करावकाश देने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति में वर्तमान अंतर कितना है; और
- (घ) किस समय-सीमा के भीतर इस अंतर को पाटने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान में भारत सरकार आयकर अधिनियम की धारा 80I (क) के अन्तर्गत विद्युत कंपनियों को प्रचालन के पहले 15 वर्षों के भीतर 10 वर्ष के ब्लॉक के लिए करावकाश प्रदान कर रही है।

(ग) : देश में मांग और आपूर्ति में वर्तमान कमी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ऊर्जा				व्यवस्ततम			
अप्रैल, 2014-अक्टूबर, 2014*				अप्रैल, 2014-अक्टूबर, 2014*			
आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)	
(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
643,914	617,662	-26252	-4.1	148,166	141,160	-7,006	-4.7

\* अंतिम

(घ) : 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) के मांग अनुमान के आधार पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय आधार पर पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मे.वा. के उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से नियोजित क्षमता अभिवृद्धि 30,000 मे.वा. है। इस क्षमता अभिवृद्धि सहित, 18वें ईपीएस के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की अनुमानित मांग 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक पूरी किए जाने की संभावना है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-856

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की स्थिति

856. श्री पंकज बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी है क्योंकि केवल 3 प्रतिशत विद्युत क्षमता का ही दोहन किया गया है;
- (ख) क्या अधिकतम मांग और अधिकतम उपलब्धता के बीच भारी अंतर है; और
- (ग) यदि हां, तो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा कम प्राथमिकता क्यों दी गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। चालू वर्ष 2014-15 (अक्टूबर, 2014 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा की 10.0% कमी थी। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसी अवधि में व्यस्ततम कमी 15.3% थी। देश की जल विद्युत संभाव्यता के आकलन के आधार पर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 58,356 मेगावाट (25 मेगावाट से अधिक) की जल विद्युत संभाव्यता चिन्हित की है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1242 मेगावाट की कुल क्षमता की दस जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) इस समय प्रचालन में हैं। इसके अतिरिक्त, 2954 मेगावाट की कुल क्षमता की छः जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं।

(ग) : जल तथा जल विद्युत राज्य का विषय है और जल विद्युत परियोजनाओं का विकास संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को अति उच्च प्राथमिकता दी है। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण कार्यस्थल के बार-बार दौरों और विकासकर्ताओं एवं उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की नियमित निगरानी कर रहा है।
2. विद्युत मंत्रालय द्वारा 12वीं योजना के दौरान और उससे आगे चालू किए जाने के लिए लक्षित ताप एवं जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं तथा संबद्ध पारेषण प्रणालियों की स्वतंत्र निगरानी के लिए विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।
3. समस्या क्षेत्रों की पहचान करने तथा बकाया मुद्दों के तेजी से समाधान को सुगम बनाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय तथा योजना आयोग सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-857

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में निवेश

857. श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के विद्युत क्षेत्र को अगले तीन वर्षों में 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त धनराशि के निवेश के संबंध में कोई प्रावधान किया है, या क्या इस योजना के अंतर्गत विशेष आबंटन किया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : योजना आयोग के 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) दस्तावेज़ के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत में अनुमानित निवेश 15,01,666 करोड़ रु. है। अनुमानित निवेश का वर्षवार एवं क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रूपे करोड़ में)

वर्ष	केंद्र	राज्य	निजी	कुल
2012-13	69059	56338	103008	228405
2013-14	77650	62337	119286	259273
2014-15	87228	68909	138137	294274
2015-16	97616	75888	159966	333470
2016-17	109242	83572	193429	386244
कुल	440796	347043	713827	1501666

(ग) : वर्ष 2012-13 (12वीं योजना का प्रथम वर्ष) के प्रारंभ से विद्युत सहित अवसंरचना क्षेत्रों के लिए बजट घोषणा निम्नानुसार है :

- (i) विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए दीर्घावधि अवसंरचना बांडों में निवेश हेतु करमुक्त बांड जारी करने के लिए वर्ष 2011-12 से अनुमति प्रदान की गई थी;



- (ii) दीर्घावधि पेंशन एवं बीमा निधियों के लिए विदेशी बाजारों का इस्तेमाल करने के लिए अवसंरचना ऋण निधि की स्थापना की गई थी, जिसे सर्वप्रथम फरवरी, 2013 में शुरू किया गया; यह वित्त ग्रहण करने, क्रेडिट बढ़ाने और अन्य नवीन साधनों के द्वारा लोगों को अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि निम्न लागत पर ऋण उपलब्ध करवायेगी;
- (iii) कर-दक्षता स्थिति की माध्यम से वर्ष 2014-15 में अवसंरचना निवेश न्यास की स्थापना की गई थी।
- (iv) बैंकों को फ्लेम्सीबल स्ट्रक्चर के साथ दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
- (v) भारतीय कंपनियों के लिए कम लागत पर दीर्घावधिक विदेशी ऋण का संवर्द्धन करने हेतु ब्याज के भुगतानों पर 5% रियायती कर की दरों के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण की पात्र तिथि को दिनांक 30.06.2017 तक बढ़ा दिया गया है।

साथ-साथ दीर्घावधिक ऋण निधि की उपलब्धता के लिए कारपोरेट बांड बाजार को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-858

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

मध्य प्रदेश को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण  
योजना के अंतर्गत निधियां

858. डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसके उपयोग का जिलेवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विभिन्न जिलों से इस योजना के क्रियान्वयन में घटिया गुणवत्ता के निर्माण कार्यों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
- (ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत किसी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। मंजूर परियोजनाओं के लिए निधियां पूर्व किस्त (किस्तों) में राशि के उपयोग और अन्य शर्तों की पूर्ति के आधार पर किस्तों में जारी की जाती है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 2862.50 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ मध्य प्रदेश राज्य के लिए 52 परियोजनाओं (10वीं योजना में 8, 11वीं योजना में 24 और चरण-II में 20) को मंजूरी दी गई थी। संचयी रूप से, दिनांक 31.10.2014 की स्थिति के अनुसार 1935.06 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

स्कीम के अंतर्गत 12वीं योजना में, 1403.15 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से, 34 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 12वीं योजना के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए, अब तक कोई राशि/निधि संवितरित नहीं की गई है।

जिलावार परियोजना लागत और आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जारी की गई निधियों का पूंजी सब्सिडी सहित ब्यौरा अनुबंध में है।

(ख) और (ग) : मध्य प्रदेश राज्य से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 858 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

31.10.2014 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जिले-वार परियोजना-लागत और जारी की गई निधि (सब्सिडी सहित)

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	परियोजना लागत	जारी कई गई निधियां
<b>Xवीं योजना</b>			
1	अशोक नगर	75.72	75.68
2	गुना	80.98	87.97
3	छिंदवाड़ा	69.83	62.85
4	धामोह	47.07	41.33
5	जबलपुर	68.00	58.78
6	सियोनी	75.02	62.47
7	इंदौर	36.00	27.07
8	उज्जैन	48.08	44.97
केजे/बीपीएल स्कीम (Xवीं योजना) के अंतर्गत बीपीएल घरों को दिए गए बीपीएल कनेक्शन		2.02	2.02
कुल (मध्य प्रदेश Xवीं योजना)		502.73	463.14
<b>XIवीं योजना</b>			
1	बेतुल	98.38	87.22
2	दतिया	27.77	27.38
3	हर्दा	33.53	29.72
4	मोरेना	94.56	83.83
5	शियोपुर	21.86	21.60
6	शिवपुरी	67.68	53.41
7	अनूपपुर	31.11	27.58
8	बालाघाट	62.85	35.71
9	छतरपुर	28.61	19.36
10	डिंडोरी	39.92	35.39
11	कटनी	48.42	42.93
12	मांडला	33.81	22.69
13	नरसिंहपुर	48.30	31.61
14	पन्ना	39.14	23.18
15	रेवा	108.50	41.02
16	सागर	66.06	58.56
17	सतना	44.93	39.83
18	शाहडोल	46.56	41.28
19	सिधी	87.87	77.89
20	टीकमगढ़	55.99	32.71
21	उमरिया	27.11	24.03
22	धार	94.77	83.00
23	झुबुआ	91.39	79.43
24	रतलाम	77.45	67.83
कुल (मध्य प्रदेश XIवीं योजना)		1376.56	1087.17
<b>XIवीं योजना का चरण-II</b>			
1	भीड़	52.15	17.20
2	भोपाल	24.49	8.05
3	ग्वालियर	30.66	10.08
4	होशंगाबाद	51.82	16.80
5	रायसेन	65.42	20.91
6	रायगढ़	91.87	51.79

7	शियोर	49.86	15.68
8	विदिशा	79.39	25.17
9	बरबानी	53.28	30.68
10	बुरहनपुर	23.53	13.55
11	देवास	58.01	33.41
12	खंडवा	41.88	8.62
13	खरगोन	89.94	51.79
14	मंदसौर	45.98	13.13
15	नीमुच	23.32	6.47
16	शाजापुर	58.84	33.88
17	बालाघाट	34.45	6.19
18	सिधी	29.27	5.42
19	छतरपुर	47.50	9.26
20	सतना	31.52	6.67
कुल (XIवी योजना का चरण-II)		983.20	384.75
सकल योग (X+XI+चरण-II)		2862.50	1935.06
XIIवी योजना			
1	अशोक नगर	39.53	शून्य
2	गुना	40.38	
3	शियोपुर	29.51	
4	शिवपुरी	58.38	
5	बेतुल	40.30	
6	भींड	19.60	
7	दतिया	21.44	
8	हर्दा	11.06	
9	मोरेना	111.11	
10	रायसेन	10.31	
11	विदिशा	13.02	
12	छिंदवाड़ा	40.66	
13	अनूपपुर	38.99	
14	बालाघाट	52.57	
15	छतरपुर	39.18	
16	डिंडोरी	56.70	
17	जबलपुर	22.71	
18	कटनी	28.37	
19	मंडला	59.36	
20	पन्ना	59.26	
21	रेवा	159.72	
22	सागर	40.20	
23	सतना	35.65	
24	शाहडोल	59.47	
25	सिधी	37.22	
26	टीकमगढ़	20.95	
27	अलीराजपुर	38.26	
28	धार	52.31	
29	पूर्वी नीमार (खंडवा)	34.19	
30	इंदौर	11.70	
31	झुबुआ	59.80	
32	नीमुच	24.78	
33	रत्लम	23.69	
34	उज्जैन	12.76	
कुल (XIIवी योजना)		1403.15	शून्य

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-859

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता

859. डॉ. टी. सुब्बाराजी रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 नवम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक साधन (मोड) से विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) उक्त तारीख तक प्रत्येक साधन से वास्तविक मौजूदा क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) अगले पांच वर्षों के दौरान अनुमानित मांग वर्ष-वार कितनी-कितनी है; और

(घ) सरकार आगामी वर्षों में विद्युत की कमी को किस प्रकार पूरा करने की योजना बना रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 1 नवंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक साधन से कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता/वास्तविक वर्तमान क्षमता अनुबंध में दी गई है।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए 18वें विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार, अगले 5 वर्ष के दौरान (2014-15 से 2018-19 तक) अखिल भारतीय व्यस्ततम भार और विद्युत ऊर्जा आवश्यकता इस प्रकार है:-

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अखिल भारतीय व्यस्ततम भार (मेगावाट)	169491	183902	199540	214093	229465
विद्युत ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	1167731	1257589	1354874	1450982	1552008

(घ) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 18वें ईपीएस के मांग प्रक्षेपण के आधार पर पारंपरिक स्रोतों से नियोजित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 88,537 मेगावाट और नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट है। इस क्षमता अभिवृद्धि से 18वें ईपीएस के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की प्रक्षेपित मांग 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक पूरा किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रत्याशित मांग आपूर्ति परिदृश्य के आधार पर उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 859 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

उत्पादन का साधन	संस्थापित क्षमता / वास्तविक क्षमता (मेगावाट)
थर्मल	177378.59
हाइड्रो	40798.76
न्यूक्लीयर	4780.00
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)	31692.14
कुल	254649.49

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-860

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

मानक बोली दस्तावेजों में परिवर्तन

860. श्री तरुण विजय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या चालू मानक बोली दस्तावेजों से बिजली उत्पादकों को अल्प समय में ही लगभग 40,000 मेगावाट का उत्पादन संविदा के अनुसार पूरा करने में मदद मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार मानक बोली दस्तावेजों में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और
- (ग) क्या विद्युत कंपनियों ने इन परिवर्तनों का विरोध किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के प्रापण के लिए बोली के मामला-II तथा मामला-I किस्म के लिए मानक बोली दस्तावेज क्रमशः 2006 और 2009 में जारी किए गए थे। विनियामक मंच (एफओआर) से उपलब्ध सूचना के आधार पर इन दस्तावेजों को आधार मानते हुए अवार्ड की गई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I और II में दिया गया है। ईंधन जोखिम, बोली कार्यवाही, तकनीकी तथा वित्तीय मानदंडों आदि से संबंधित मुद्दों के कारण इन दस्तावेजों की समीक्षा की गई थी और 2013 में मॉडल बोली दस्तावेजों से प्रतिस्थापित किए गए थे।

(ग) : पिछले मानक बोली दस्तावेजों के संशोधन के समय कुछ विद्युत कंपनियों ने मौजूदा निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन (बीओओ) मॉडल से विचलन, प्रावधानों को समाप्त करने, तकनीकी और प्रचालनात्मक प्राचलों, स्वतंत्र इंजीनियर की भूमिका, नये मॉडल के तहत परियोजनाओं की बैंक ग्राह्यता तथा ईंधन उपलब्धता जोखिम आदि के संबंध में चिंता व्यक्त की थी।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 860 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

मामला-II प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निष्पादित ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थान	क्षमता (मेगावाट)
<b>हरियाणा</b>			
1.	झज्जर	झज्जर	2x660
<b>पंजाब</b>			
2.	तलवंडी साबो	मंसा	3x660
3.	राजपुर	पटियाला	2x660
<b>राजस्थान</b>			
4.	बंसवाड़ा टीपीपी	बंसवाड़ा	2x660
<b>मध्य प्रदेश</b>			
5.	शाहपुरा	जबलपुर	2x660
6.	सासन यूएमपीपी	सासन	4000
<b>उत्तर प्रदेश</b>			
7.	अनपरा 'सी'	सोनभद्र	2x600
8..	बारा	इलाहाबाद	3x660
9.	करचन्ना	इलाहाबाद	2x660
10.	जवाहरपुर टीपीपी	एटा	2x660
11.	दोपाहा टीपीपी	सोनभद्र	3x660
12.	यमुना एक्सप्रेस वे	बुलंदशहर	3x660
<b>छत्तीसगढ़</b>			
13.	भैयाथां	सरगुजा	2x660
<b>महाराष्ट्र</b>			
14.	महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन	भद्रावती	2x660
15.	धोपावे टीपीपी	रत्नागिरी	3x660
<b>कर्नाटक</b>			
16.	गुलबर्गा टीपीपी	गुलबर्गा	2x660
17.	घाटप्रभा	बेलगाँम	2x660
<b>गुजरात</b>			
18.	मुंद्रा यूएमपीपी	मुंद्रा	4000
			कुल 32,300

\*\*\*\*\*



**अनुबंध-II**

राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 860 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

मामला-I के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोली परियोजना के आधार पर अवाई की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	ईंधन प्रकार	विद्युत परियोजना का नाम	विकासकर्ता का नाम	परियोजना की क्षमता (मेगावाट)	क्वांटम खरीद (मेगावाट)
1	हरियाणा	कोयला आधारित	मैसर्स टीपीएस फेज- IV	अदानी पावर लि.	3x660	1980
2	हरियाणा	कोयला आधारित	कमलंगा टीपीपी	पीटीसी (जीएमआर) इंडिया लि.	1050	1050
3	हरियाणा	कोयला आधारित	लैंको बांध	लैंको	389	389
4	महाराष्ट्र	आयातित/घरेलू	टिरोडा, जिला गोंदिया में स्थित मैसर्स अदानी पावर महाराष्ट्र लि.	मैसर्स अदानी पावर महाराष्ट्र लि.	5x660	1320
5	महाराष्ट्र	कोयला लिंकेज	मंडवा, जिला वर्धा में स्थित मैसर्स लैंको महानदी पावर लि.	मैसर्स लैंको महानदी पावर लि.	2x660	680
6	महाराष्ट्र	आयातित	जयगढ़, जिला रत्नागिरी में स्थित मैसर्स डेएसडब्ल्यूईआर लि.	मैसर्स डेएसडब्ल्यूईआर लि., जयगढ़	3x660	300
7	महाराष्ट्र	आयातित/घरेलू	टिरोडा, जिला गोंदिया में स्थित मैसर्स अदानी पावर महाराष्ट्र लि.	मैसर्स अदानी पावर महाराष्ट्र लि.	5x660	1200
8	महाराष्ट्र	घरेलू	मैसर्स एमको एनर्जी लि. एमआईडीसी, वरौरा, जिला चंद्रपुर	मैसर्स एमको एनर्जी लि.	1x300	200
9	महाराष्ट्र	घरेलू	नंदगांवपेठ, जिला अमरावती में स्थित मैसर्स इंडियाबुल्स पावर लि.	मैसर्स इंडियाबुल्स पावर लि.	2x660	1200
10	गुजरात	आयातित	मुंद्रा पावर प्रोजेक्ट	मैसर्स अदानी पावर लिमिटेड, मुंद्रा	330x4	1000
11	गुजरात	कोयला लिंकेज	चकाबुरा पावर प्रोजेक्ट, कोरबा	मैसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशनस लि.	125x2	200
12	गुजरात	आयातित	मुंद्रा पावर प्रोजेक्ट	मैसर्स अदानी पावर लिमिटेड, मुंद्रा	660x2	1000
13	गुजरात	आयातित कोयला	सलाया पावर प्रोजेक्ट	मैसर्स एस्सार पावर गुजरात लि.	500x2	1000
14	गुजरात	घरेलू	मैसर्स केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	मैसर्स केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	600x3	1010
15	गुजरात	आयातित कोयला	मैसर्स शापोरजी पल्लोनजी एण्ड कं. लि.	मैसर्स शापोरजी पल्लोनजी एण्ड एनर्जी गुजरात प्रा. लि.	660x2	800
16	गुजरात	आयातित कोयला	मैसर्स एस्सार पावर गुजरात लि.	मैसर्स एस्सार पावर गुजरात लि.	600x2+660x2	800
17	राजस्थान	आयातित/घरेलू	कवाई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट	मैसर्स अदानी राजस्थान पावर लि., अहमदाबाद	1320	1200
18	मध्य प्रदेश	घरेलू कोयला	चितरंगी पावर प्रोजेक्ट	मैसर्स रिलायंस पावर लि.	3960	1241
19	मध्य प्रदेश	घरेलू कोयला	महान थर्मल पावर प्रोजेक्ट	मैसर्स एस्सार पावर लि.	1200	150
कुल						16720

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-861

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

महाराष्ट्र में विद्युत की कमी

861. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि कोयले और गैस की आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण महाराष्ट्र विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है;
- (ख) यदि हां, तो कोयले और गैस की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में महाराष्ट्र सरकार की मदद करने के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;
- (ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस राज्य के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया है जिससे निकट भविष्य में कोयले की कमी की और समस्याएं उत्पन्न होंगी; और
- (घ) यदि हां, तो भारी विद्युत संकट को झेल रहे इस राज्य में कोयले की कमी की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : महाराष्ट्र विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना नहीं कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर, 2014) के दौरान 4.1% की अखिल भारतीय कमी की तुलना में महाराष्ट्र में ऊर्जा की कमी 1.6% है। नवंबर, 2014 के दौरान, कोयले की आपूर्ति में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप, अधिक कोयला प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र सहित सम्पूर्ण देश में गैस आधारित उत्पादन विद्युत क्षेत्र के लिए गैस की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण प्रभावित हुआ है। तथापि, भारत सरकार ने गैस के नए मूल्य घोषित किए हैं जिससे घरेलू गैस आपूर्ति में वृद्धि होने की संभावना है। सरकार ने कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काफी मुद्दों का समाधान कर दिया है।

(ग) और (घ) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25.8.2014 और 24.9.2014 के अपने अधि-निर्णय के तहत महाराष्ट्र राज्य को आबंटित कोयला ब्लाक सहित 204 कोयला ब्लाक रद्द कर दिए हैं। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला ब्लाक आबंटियों को छः माह का समय दिया है, इसलिए इन उत्पादन करने वाले ब्लाकों से कोयला उपलब्ध न होने के कारण विद्युत आपूर्ति तुरंत प्रभावित होने की संभावना नहीं है। भारत सरकार ने रद्द किए गए कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली निर्धारित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है। तथापि, कोयले की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, ताप संयंत्रों द्वारा वर्धित उत्पादन के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता के अंतर को वर्धित कोयला उत्पादन और कोयला आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-862

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की खपत

862. श्री प्रभात झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मांग में लगातार बढ़ोत्तरी के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत लगभग सभी विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) वर्तमान में देश के किन-किन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का पूरी तरह विद्युतीकरण हो चुका है और पूरे देश का पूर्णतः विद्युतीकरण कब तक कर लिए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत विकसित देशों और कुछ विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत से कम है। वर्ष 2012 के लिए कुछ विकसित और विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

विद्युत की प्रति व्यक्ति कम खपत मुख्यतः प्रति व्यक्ति आय के कम होने और देश में जनसंख्या के एक भाग को विद्युत की कम पहुंच प्राप्त होने के कारण होती है।

(ग) : राज्य सरकार/डिस्कॉमों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार नौ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हो चुका है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 862 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

कुछ विकसित और विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति कम खपत का ब्यौरा:

(किलोवाट में)

क्र.सं.	देश	प्रति व्यक्ति खपत
1.	कनाडा	15558
2.	यूएसए	12947
3.	कोरिया	10346
4.	आस्ट्रेलिया	10218
5.	जापान	7753
6.	फ्रांस	7367
7.	जर्मनी	7138
8.	रूस	6602
9.	यूके	5452
10.	इटली	5277
11.	दक्षिण अफ्रीका	4410
12.	चीन	3488
13.	ब्राजील	2509
14.	भारत (\$)*	914
15.	बंगलादेश	280
16.	घाना	348
17.	नेपाल	119
18.	पाकिस्तान	447
19.	जांबिया	600
20.	श्री लंका	527
<p>* वर्ष 2012-13 के लिए                      (\$) प्रति व्यक्ति खपत (सकल विद्युत ऊर्जा उपलब्धता/मध्यवर्षी जनसंख्या)।                      स्रोत: आईइए वेबसाइट</p>		

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-863

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विद्युत का  
वितरण

863. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2004 से 2014 के बीच अविभाजित आन्ध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार और विद्युत संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) राज्य के बंटवारे के बाद आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विद्युत वितरण का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो विद्युत का उत्पादन कर, दोनों राज्यों में वितरण कर रही हैं;
- (घ) क्या दोनों राज्यों को विद्युत का वितरण आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाता है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 2004-05 से 2013-14 के बीच तथा चालू वर्ष 2014-15 (मई, 2014 तक) के दौरान अविभाजित आंध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन का वर्षवार और विद्युत संयंत्रवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) : आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विद्युत वितरित कर दी गई है। तदनुसार अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 08.05.0214 के आदेश के तहत दो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच निम्नानुसार विद्युत आबंटित की है:-

तेलंगाना राज्य	-	53.89%
आंध्र प्रदेश राज्य	-	46.11%

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच अविभाजित आंध्र प्रदेश में स्थित विद्युत संयंत्र भी बांट दिए गए हैं। दोनों राज्यों की विद्युत उत्पादन और वितरण परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(च) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 863 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

\*\*\*\*\*

वर्ष 2004-05 से 2014-15 (मई, 2014 तक) के दौरान अविभाजित आंध्र प्रदेश में विद्युत स्टेशनों का स्टेशन-वार उत्पादन

स्टेशन का नाम	उत्पादन (मिलियन यूनिट)				
	2014-15 (मई, 2014 तक )	2013-14	2012- 13	2011-12	2010-11
सिम्हाद्री	2909.33	14684.48	12691.16	10404.46	8416.82
रामागुंदम एसटीपीएस	3497.69	19746.25	20785.3	21255.39	20559.82
डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	2214.14	12840.66	13407.9	14155.37	12408.24
रायलसीमा टीपीएस	1254.09	7056.45	7692.58	8076.23	6253.34
दामोदरम संजीव्याह टीपीएस					
काकातिया टीपीएस	699.15	3154.98	3988.62	2440.79	1834.35
कोथागुडेम टीपीएस	729.83	4286.01	4607.25	4997.65	5057.61
कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	1248.2	7017.69	7798.76	5801.59	3417.71
रामागुंदम - बी टीपीएस	72.67	445.78	435.84	452.7	469.87
नैल्लोर					
सिम्हापुरी टीपीएस	539.51	2229.37	1618.73		
थामिनापट्टनम टीपीएस	255.11	1445.26	384.64		
एलवीएस पावर डीजी	0	0	0	12.69	44.44
विजेश्वरन सीसीपीपी	182.71	1050.02	1168.17		
पेड्डापुलम सीसीपीपी	26.16	490.78	713.2	1318.82	1427.37
गौतमी सीसीपीपी	0	0	997.36	2898.67	3331.07
जेगुरुपड्डु सीसीपीपी	127.4	993.44	1689.04	2833.49	3094.23
कोनासीमा सीसीपीपी	0	1.54	914.92	2266.22	2350.49
कोंडापल्ली एक्स्टें. सीसीपीपी	0	0	661.51	2203.54	2043.68
कोंडापल्ली सीसीपीपी	293.74	1441.45	1768.38	2030.94	2133.77
गोदावरी सीसीपीपी	156.12	1089.32	1032.98	1282.46	1464.36
वेमागिरी सीसीपीपी	0	177.51	960.77	2066.81	2815.56
जीएमआर एमर्जी लि. - काकीनाडा	0	0	393.39	1200.03	960.49
हम्पी एचपीएस	2.05	94.71	65.27	85.4	87.96
मचकुंद एचपीएस	95.11	572.59	565.52	485.33	585.46
नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस	0	251.58	0	156.06	282.58
श्रीसैलम एचपीएस	92.98	1314.85	514.5	1219.16	1832.88
टीबी डैम एचपीएस	0.16	81.07	63.56	101.65	97.8
अपर सिलेरू एचपीएस	98.21	460.14	401.07	415.46	419.65
लोअर सिलेरू एचपीएस	266.59	1268.48	1119.64	1032.83	1065.09
नागार्जुन सागर एचपीएस	10.1	1315.16	256.1	1129.25	1298.04
नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	0	98.23	0	68.8	137.14
पोचामपडु एचपीएस	6.44	85.29	16.58	88.06	82.7
प्रियदर्शिनी जुराला एचपीएस	0	270.79	140.27	207.12	125.85
श्रीसैलम एलबी एचपीएस	73.93	1464.21	314.24	1381.68	1994.43
डोंकारयी एचपीएस					
निजाम सागर एचपीएस					
पेन्ना एहोबिलम एचपीएस					
सिंगूर एचपीएस					
लघु हाइड्रो (ए)					
गुंदूर एचपीएस					
सकल योग	14851.42	85428.09	87167.25	92068.65	86092.8

\* वास्तविक-सह-मूल्यांकन के आधार पर अनंतिम

1. सीईए केवल पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो तथा न्यूक्लियर) से उत्पादन की निगरानी करता है।
2. 01.04.2010 से 25 मेगावाट तक के स्टेशनों के उत्पादन की निगरानी नहीं की जा रही है।

वर्ष 2004-05 से 2014-15 (मई, 2014 तक) के दौरान अविभाजित आंध्र प्रदेश में विद्युत स्टेशनों का स्टेशन-वार उत्पादन

स्टेशन का नाम	उत्पादन (मिलियन यूनिट)					
	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
सिम्हाद्री	8520.71	8533.1	7779.6	8068.2	7741.4	8122.1
रामागुंदम एसटीपीएस	21594.73	21512.77	20587.72	20247.5	19691.1	17169.83
डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	10728.33	10340.18	9763.46	9953.95	9755.14	9848.8
रायलसीमा टीपीएस	6376.59	6741.58	4420.49	3313.86	2369.09	3353.6
दामोदरम संजीव्याह टीपीएस						
काकातिया टीपीएस						
कोथागुडेम टीपीएस	4915.24	4461.41	5029.7	4787.35	4728.7	5363.4
कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	4035.5	3665.01	3970.55	3680.74	3484.27	4140.9
रामागुंदम - बी टीपीएस	512.19	467.36	503.12	330.7	397.23	496
नेल्लोर					7.4	153.9
सिम्हापुरी टीपीएस						
थामिनापट्टनम टीपीएस						
एलवीएस पावर डीजी	205.15	0	0	0	0	
विजेश्वरन सीसीपीपी	0	1483.84	1144.63	1513.74	1836.92	1993.4
पेड्डापुलम सीसीपीपी	1525.02	984.52	1134.01	945.39	842.31	1141.34
गौतमी सीसीपीपी	3078.89	29.87	0	0	0	
जेगुरुपड्डु सीसीपीपी	3348.39	1330.08	1310.56	1157.52	1293.7	1419.62
कोनासीमा सीसीपीपी	867.65	11.43	0	0	0	
कोंडापल्ली एक्स्टें. सीसीपीपी	389.12	0	0			
कोंडापल्ली सीसीपीपी	2749.85	2298.02	2211.64	1688.6	2116.12	2246.34
गोदावरी सीसीपीपी	1553.13	1413.79	1486.05	1069.33	1331.16	1372.96
वेमागिरी सीसीपीपी	3000.18	676.62	274.51	117.77	1.96	
जीएमआर एमर्जी लि. - काकीनाडा						
हम्पी एचपीएस	93.68	107.92	100.77	98.79	57.6	0
मचकुंद एचपीएस	610.14	610.73	455.24	823.05	628.14	900.4
नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस	115.97	170.46	206.48	284.39	273.94	47.7
श्रीसैलम एचपीएस	1278.52	1811.56	2192.07	1749.99	1490.26	941
टीबी डैम एचपीएस	95.41	98.28	124.68	141.74	167.64	148.2
अपर सिलेरु एचपीएस	232.05	619.18	525.41	600.08	472.96	544.2
लोअर सिलेरु एचपीएस	629.29	1374.54	1256.75	1336.29	1037.06	1171.1
नागार्जुन सागर एचपीएस	1213.94	1116.12	2139.3	1816.57	1560.16	501.5
नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	30.72	86.24	100.49	154.57	120.97	5.1
पोचामपड़ एचपीएस	2.55	63.94	62.74	102.01	111.82	1.6
प्रियदर्शिनी जुराला एचपीएस	238.94	124.42	0			
श्रीसैलम एलबी एचपीएस	1279.93	1802.33	2546.02	2512.96	2232.9	1411.7
डोंकारयी एचपीएस	41.34	127.58	133.26	127.36	114.71	132
निजाम सागर एचपीएस	3.09	24.21	8.35	25.57	9.64	0
पेन्ना एहोबिलम एचपीएस	4.65	1.91	2.61	13.61	9.88	0
सिंगूर एचपीएस	5.43	8.38	2.93	10.92	8.93	1.47
लघु हाइड्रो (ए)	4.77	12.61	15.35	24.25	24.96	6.3
गुंटूर एचपीएस	0	0	0			
सकल योग	79281.09	72109.99	69488.49	66696.8	63918.07	62634.46

\* वास्तविक-सह-मूल्यांकन के आधार पर अनंतिम

1. सीईए केवल पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो तथा न्यूक्लियर) से उत्पादन की निगरानी करता है।
2. 01.04.2010 से 25 मेगावाट तक के स्टेशनों के उत्पादन की निगरानी नहीं की जा रही है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 863 के भाग (ख) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

\*\*\*\*\*

नए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विद्युत स्टेशनों की सूची		
स्थान राज्य	परियोजना का नाम	कुल
तेलंगाना		
	<b>थर्मल</b>	
	काकातिया टीपीएस, (वरंगल)	500.00
	कोथागुडम टीपीएस, (खम्माम)	1720.00
	रामागुडम टीपीएस बी, (करीमनगर)	62.50
	रामागुडं थर्मल पावर स्टेशन, (करीमनगर)	2600.00
	<b>कुल (थर्मल)</b>	<b>4882.50</b>
	<b>हाइड्रो</b>	
	लोअर सिलेरू एचईपीएस	460
	नागार्जुन सागर (आरबीसी एक्स्टें.) एचईपीएस	30
	नागार्जुन सागर एचईपीएस	815.6
	नागार्जुन सागर एचईपीएसएलबीसी	60
	पोचामपड एचईपीएस	27
	प्रियदर्शिनी जुराला एचईपीएस	234
	श्रीसैलम एचईपीएसलेफ्ट बैंक	900
	<b>कुल (हाइड्रो)</b>	<b>2526.6</b>
	<b>कुल (तेलंगाना)</b>	<b>7409.10</b>
नया आंध्र प्रदेश		
	<b>थर्मल</b>	
	दामोदरम संजीव्याह, (नैल्लोर)	800.00
	डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस, (कृष्णा)	1760.00
	गौतमी सीसीपीपी, (पूर्वी गढ़वारी)	464.00
	गोदावरी गैस पावर स्टेशन, (पूर्वी गढ़वारी)	208.00
	जेगुरुपड्डू गैस पावर स्टेशन, (पूर्वी गढ़वारी)	455.40
	कोनासीमा सीसीपीपी, (पूर्वी गढ़वारी)	445.00
	कोंडापल्ली गैस पावर स्टेशन, (कृष्णा)	350.00
	एल.वी.एस. डीजल पावर स्टेशन, (विशाखापट्टनम)	36.80
	लैंको कोंडापल्ली गैस पावर स्टेशन, (कृष्णा)	366.00
	पेड्डापूरम गैस पावर स्टेशन, (पूर्वी गढ़वारी)	220.00
	रायलसीमा टीपीएस, (कपाड़ा)	1050.00
	सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन (नैल्लोर)	2000.00
	सिम्हापुरी टीपीएस, (नैल्लोर)	450.00
	तनीरबावी गैस पावर स्टेशन, (काकीनाडा)	220.00
	थामिनापट्टनम टीपीपी, (नैल्लोर)	150.00
	थामिनापट्टनम टीपीपी, (नैल्लोर)	150.00
	वेमागिरी सीसीपीपी, (पूर्वी गढ़वारी)	370.00
	विजेश्वरन गैस पावर स्टेशन, (पश्चिमी गढ़वारी)	272.00
	<b>कुल (थर्मल)</b>	<b>9767.20</b>
	<b>हाइड्रो</b>	
	हम्पी एचईपीएस (कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उद्यम)	36
	मचकुद एचईपीएस (ओडिशा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उद्यम)	114.75
	श्रीसैलम एचईपीएस	770
	टी.बी. डैम एचईपीएस(कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उद्यम)	36
	अपर सिलेरू (स्टेज-I) एचईपीएस	120
	अपर सिलेरू (स्टेज-II) एचईपीएस	120
	नागार्जुन सागर एचईपीएसआरबीसी	60
	<b>कुल (हाइड्रो)</b>	<b>1256.75</b>
	<b>कुल (नया आंध्र प्रदेश)</b>	<b>11023.95</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>18433.05</b>

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-864

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन हेतु कोयले पर निर्भरता कम करने  
की योजना बनाया जाना

864. श्री अविनाश पांडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत के उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए भी आयोजना प्रक्रिया में कम कार्बन विकास रणनीति को अपनाया गया है और ऊर्जा के हाइड्रो, न्यूक्लियर एवं नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन के विकास को यथासंभव उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। तथापि, इन स्रोतों से अकेले विद्युत की बढ़ती मांगों को उत्पादित विद्युत के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। अतः देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला, हाइड्रो, नवीकरणीय और न्यूक्लियर स्रोतों के मिश्रण की आयोजना की गई है।

पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लक्ष्य के अतिरिक्त नवीकरणीय की साझेदारी को बढ़ाने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 30,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की आयोजना की गई है। मार्च, 2017 तक नवीकरणीय विद्युत की संचयी संस्थापित क्षमता 55,000 मेगावाट होने का अनुमान है।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-865

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

एन.एच.पी.सी. द्वारा लिए गए सामाजिक  
उत्तरदायित्व

865. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जिन क्षेत्रों में एन.एच.पी.सी. की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उन क्षेत्रों के विकास के प्रति इसका सामाजिक उत्तरदायित्व होता है;
- (ख) यदि हां, तो एन.एच.पी.सी. द्वारा उत्तराखंड से स्थापित विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में जिन सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया गया है उनका ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो एन.एच.पी.सी. द्वारा इस मद में अब तक कितनी धनराशि एकत्र की गई है और जहां-जहां इस धनराशि का उपयोग किया गया है उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां ।

(ख) और (ग) : उत्तराखंड में एनएचपीसी द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण और स्थायित्व, खेल, कला एवं संस्कृति के विकास इत्यादि क्षेत्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए गए हैं, जिनमें स्कूलों को अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराना, आईटीआई का उन्नयन, स्कूलों में कम्प्यूटर दिलाना और प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्रवृत्ति का वितरण, प्राकृतिक आपदा के बाद राहत एवं पुनर्वास उपाय, टीकाकरण और चिकित्सा शिविर, सौर लालटेनों का वितरण, सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइटें, वर्षा जल संचयन, कटाई एवं सिलाई प्रशिक्षण, स्थानीय खेल/मेले का प्रायोजन और विभिन्न ग्रामीण विकास गतिविधियां इत्यादि शामिल हैं। उत्तराखंड में अब तक विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि का परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. कोटली भेल परियोजना	-	105.98 लाख
2. धौलीगंगा पावर स्टेशन	-	105.03 लाख
3. टनकपुर पावर स्टेशन	-	110.13 लाख
4. क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	-	1.50 लाख
5. उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्य	-	<u>100.00 लाख</u>
कुल	-	<u>422.64 लाख</u>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-866

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग और कमी

866. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत विद्युत की मांग और कमी क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार कितनी है;
- (ख) क्या अगले पांच वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में विद्युत की मांग का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;
- (ग) यदि हां, तो इसका क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में विद्युत की वर्तमान और भावी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है।

वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2014 से अक्टूबर, 2014 तक) के दौरान समग्र राज्य-वार ऊर्जा और व्यस्ततम कमी अनुबंध-1 में दी गई है।

(ख) और (ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए भारत के 18वें इलैक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) में 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न क्षेत्रों (घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, औद्योगिक तथा अन्य आदि) के लिए वैद्युत ऊर्जा खपत (अंतिम उपभोक्ता की मांग) का अनुमान लगाया गया है।

अगले पांच वर्षों अर्थात 2015-16 से 2019-20 तक के लिए वैद्युत ऊर्जा खपत अनुमान का राज्य-वार, क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) : केंद्र सरकार विद्युत की आपूर्ति में कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

- (x) 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक 18वें ईपीएस द्वारा प्रस्तावित मांग को पूरा करने के लिए 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है।
- (xi) 12वीं योजना के लिए 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइनों तथा 2,82,740 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की तुलना में 45,570 सीकेएम पारेषण लाइनों तथा 1,56,354 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता अक्टूबर, 2014 तक प्राप्त की जा चुकी है।
- (xii) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी में चौबीस घंटे सातों दिन सभी के लिए विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की पहल की है।
- (xiii) पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने तथा लाइनों की हानि कम करने के लिए उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क्स को सुदृढ़ करने और कृषि से संबंधित फीडर्स को अलग करने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम नामक दो नई स्कीमों को अनुमोदित की हैं।
- (xiv) मौजूदा विद्युत स्टेशनों के संयंत्र भार घटक में सुधार करने के लिए संबंधित राज्य और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा पुराने विद्युत संयंत्रों के पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) की योजना बनाई गई है।
- (xv) ताप संयंत्रों द्वारा बर्धित उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में अंतर को कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके तथा कोयले के आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
- (xvi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- (xvii) राज्य वितरण यूटिलिटीयों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।
- (xviii) उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुकर बनाने हेतु पर्यावरण तथा वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 866 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

\*\*\*\*\*

2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)								
राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2014 - अक्टूबर, 2014				अप्रैल, 2014 - अक्टूबर, 2014			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	1,077	1,077	0	0	367	367	0	0
दिल्ली	19,843	19,739	-104	-0.5	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	30,237	30,105	-132	-0.4	9,152	9,152	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	5,174	5,115	-59	-1.1	1,316	1,313	-3	-0.2
जम्मू व कश्मीर	8,880	7,107	-1,773	-20.0	2,521	2,017	-504	-20.0
पंजाब	34,385	33,905	-480	-1.4	11,534	10,023	-1,511	-13.1
राजस्थान	37,423	37,015	-408	-1.1	10,188	10,077	-111	-1.1
उत्तर प्रदेश	64,164	53,633	-10,531	-16.4	15,670	13,003	-2,667	-17.0
उत्तराखण्ड	7,383	7,121	-262	-3.5	1,883	1,833	-50	-2.7
उत्तरी क्षेत्र	208,566	194,817	-13,749	-6.6	51,977	47,642	-4,335	-8.3
छत्तीसगढ़	12,595	12,425	-170	-1.3	3,759	3,350	-409	-10.9
गुजरात	56,486	56,463	-23	0.0	13,603	13,499	-104	-0.8
मध्य प्रदेश	30,408	30,116	-292	-1.0	8,413	8,395	-18	-0.2
महाराष्ट्र	80,367	79,076	-1,291	-1.6	20,724	19,654	-1,070	-5.2
दमन एवं दीव	1,249	1,249	0	0.0	297	297	0	0.0
दादर नागर हवेली	3,140	3,138	-2	-0.1	679	679	0	0.0
गोवा	2,418	2,383	-35	-1.4	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	186,663	184,850	-1,813	-1.0	44,166	42,757	-1,409	-3.2
आंध्र प्रदेश	38,482	35,684	-2,798	-7.3	7,144	6,549	-595	-8.3
तेलंगाना	22,365	20,254	-2,111	-9.4	7,791	6,648	-1,143	-14.7
कर्नाटक	35,315	33,424	-1,891	-5.4	10,001	9,503	-498	-5.0
केरल	12,922	12,679	-243	-1.9	3,760	3,495	-265	-7.0
तमिलनाडु	57,366	55,780	-1,586	-2.8	13,663	13,498	-165	-1.2
पुडुचेरी	1,474	1,449	-25	-1.7	389	348	-41	-10.5
लक्षद्वीप	28	28	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	167,924	159,270	-8,654	-5.2	39,094	35,698	-3,396	-8.7
बिहार	10,548	10,268	-280	-2.7	2,992	2,792	-200	-6.7
झारखण्ड	4,418	4,291	-127	-2.9	1,060	1,037	-23	-2.2
ओडिशा	16,092	15,794	-298	-1.9	3,857	3,807	-50	-1.3
पश्चिम बंगाल	29,918	29,739	-179	-0.6	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	228	228	0	0.0	82	82	0	0.0
अंडमान-निकोबार	140	105	-35	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	72,322	71,128	-1,194	-1.7	16,909	16,609	-300	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	391	348	-43	-11.0	139	126	-13	-9.4
असम	5,259	4,767	-492	-9.4	1,380	1,257	-123	-8.9
मणिपुर	386	368	-18	-4.7	141	138	-3	-2.1
मेघालय	1,043	875	-168	-16.1	335	297	-38	-11.3
मिजोरम	258	241	-17	-6.6	87	82	-5	-5.7
नागालैंड	376	356	-20	-5.3	140	118	-22	-15.7
त्रिपुरा	726	642	-84	-11.6	310	266	-44	-14.2
पूर्वांचल क्षेत्र	8,439	7,597	-842	-10.0	2,528	2,141	-387	-15.3
अखिल भारत	643,914	617,662	-26,252	-4.1	148,166	141,160	-7,006	-4.7

# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडएलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के ऊर्जा संबंधी आंकड़ों में अप्रैल-मई, 2014 की अवधि के लिए अविभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) के आंकड़े शामिल हैं। तेलंगाना के ऊर्जा संबंधी आंकड़े जून, 2014 से हैं। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के व्यस्ततम आंकड़े जून, 2014 से हैं। ऐसा जून, 2014 से आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में विभाजन के कारण है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 866 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

\*\*\*\*\*

घरेलू श्रेणी में वैद्युत ऊर्जा खपत का पूर्वानुमान 2015-16 से 2019-20 तक (सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दिल्ली	13152	13948	14792	15687	16636
हरियाणा	8053	8878	9554	10185	10858
हिमाचल प्रदेश	1589	1686	1780	1878	1983
जम्मू व कश्मीर	2746	3075	3444	3857	4320
पंजाब	10969	11818	12414	12915	13437
राजस्थान	13393	15461	17258	18842	20572
उत्तर प्रदेश	36682	41938	46132	49408	52916
उत्तराखण्ड	2369	2559	2763	2984	3223
चंडीगढ़	682	723	767	813	862
उत्तरी क्षेत्र	89634	100086	108903	116570	124806
गोवा	972	1050	1119	1188	1260
गुजरात	14588	16007	17521	19133	20893
छत्तीसगढ़	4624	5097	5538	5989	6477
मध्य प्रदेश	11885	13727	15032	16047	17131
महाराष्ट्र	26221	27815	29362	30848	32409
दादर नागर हवेली	107	125	140	154	170
दमन एवं दीव	103	113	122	132	142
पश्चिमी क्षेत्र	58500	63934	68834	73490	78482
आंध्र प्रदेश	24201	26907	29366	32050	34979
कर्नाटक	13895	14884	15791	16752	17773
केरल	9826	10472	11054	11669	12317
तमिलनाडु	25563	27701	29983	32415	35009
पुडुचेरी	732	773	806	837	866
दक्षिणी क्षेत्र	74217	80737	87000	93724	100944
बिहार	7446	9148	11024	13285	16010
झारखण्ड	4746	5290	5969	6512	7104
ओडिशा	7219	7731	8240	8741	9272
पश्चिम बंगाल	14845	16859	18664	20143	21662
सिक्किम	145	155	160	177	185
पूर्वी क्षेत्र	34401	39183	44057	48857	54233
असम	3216	3443	3722	4024	4351
मणिपुर	410	499	594	693	808
मेघालय	326	345	366	389	412
नागालैंड	311	336	371	405	442
त्रिपुरा	552	620	676	731	791
अरुणाचल प्रदेश	107	123	135	148	163
मिजोरम	367	440	484	524	566
पूर्वोत्तर क्षेत्र	5287	5806	6349	6914	7534
अंडमान-निकोबार	137	150	163	177	193
लक्षद्वीप	27	28	30	31	33
अखिल भारत	262202	289924	315335	339762	366224

**वाणिज्यिक श्रेणी में वैद्युत ऊर्जा खपत का पूर्वानुमान  
2015-16 से 2019-20 तक (सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दिल्ली	8325	9158	10073	11081	12189
हरियाणा	3046	3432	3825	4221	4644
हिमाचल प्रदेश	664	711	754	800	849
जम्मू व कश्मीर	466	522	585	655	734
पंजाब	3306	3610	3923	4243	4590
राजस्थान	3041	3352	3695	4074	4491
उत्तर प्रदेश	9861	11281	12783	14358	16127
उत्तराखण्ड	1386	1455	1528	1605	1685
चंडीगढ़	539	572	607	643	683
उत्तरी क्षेत्र	30635	34094	37774	41680	45990
गोवा	296	320	345	369	395
गुजरात	7485	8331	9184	10125	11161
छत्तीसगढ़	855	952	1014	1081	1152
मध्य प्रदेश	2774	3176	3600	4045	4545
महाराष्ट्र	18536	20203	21828	23584	25482
दादर नागर हवेली	26	28	30	33	35
दमन एवं दीव	49	54	58	63	68
पश्चिमी क्षेत्र	30022	33064	36060	39299	42838
आंध्र प्रदेश	9882	10855	11901	13024	14230
कर्नाटक	8268	9202	10192	11237	12389
केरल	4447	4893	5335	5764	6227
तमिलनाडु	11603	12810	14176	15727	17495
पुडुचेरी	253	273	293	313	334
दक्षिणी क्षेत्र	34453	38034	41897	46065	50675
बिहार	1042	1192	1364	1560	1785
झारखण्ड	523	577	630	681	736
ओडिशा	1362	1455	1546	1643	1747
पश्चिम बंगाल	6123	6659	7234	7851	8510
सिक्किम	60	65	71	75	79
पूर्वी क्षेत्र	9111	9948	10845	11810	12857
असम	842	937	1014	1088	1166
मणिपुर	53	64	78	94	114
मेघालय	64	68	71	74	78
नागालैंड	68	79	89	99	110
त्रिपुरा	84	92	102	112	124
अरुणाचल प्रदेश	25	28	30	33	37
मिजोरम	33	39	45	50	57
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1169	1307	1429	1551	1685
अंडमान-निकोबार	73	78	83	89	95
लक्षद्वीप	9	10	10	11	11
अखिल भारत	105472	116535	128099	140506	154153

**कृषि श्रेणी में वैद्युत ऊर्जा खपत का पूर्वानुमान  
2015-16 से 2019-20 तक (सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दिल्ली	29	28	26	25	24
हरियाणा	12433	13053	13704	14387	15105
हिमाचल प्रदेश	44	46	48	50	52
जम्मू व कश्मीर	404	453	507	568	636
पंजाब	20138	22266	23152	23733	24329
राजस्थान	19678	20777	21766	22739	23747
उत्तर प्रदेश	19748	23279	26126	28805	31746
उत्तराखण्ड	377	392	408	424	441
चंडीगढ़	1	1	2	2	2
उत्तरी क्षेत्र	72854	80295	85739	90734	96082
गोवा	35	38	41	44	48
गुजरात	19740	21216	22778	24431	26192
छत्तीसगढ़	2959	3157	3369	3594	3836
मध्य प्रदेश	12378	13738	14958	15998	17110
महाराष्ट्र	18990	20164	21412	22739	24150
दादर नागर हवेली	3	3	3	3	3
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	54105	58316	62560	66809	71338
आंध्र प्रदेश	29750	31994	34414	37022	39834
कर्नाटक	18237	19420	20764	22026	23386
केरल	329	341	348	355	362
तमिलनाडु	14608	15087	15569	16058	16555
पुडुचेरी	98	100	103	105	108
दक्षिणी क्षेत्र	63022	66942	71196	75565	80245
बिहार	1789	2003	2204	2424	2666
झारखण्ड	93	99	104	109	114
ओडिशा	239	264	292	324	359
पश्चिम बंगाल	2281	2497	2734	2994	3279
सिक्किम	0	0	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र	4401	4863	5334	5851	6419
असम	104	114	126	138	152
मणिपुर	1	1	1	1	1
मेघालय	1	1	1	1	1
नागालैंड	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	58	62	67	72	78
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
मिजोरम	14	17	20	23	23
पूर्वांतर क्षेत्र	177	195	214	235	255
अंडमान-निकोबार	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
अखिल भारत	194559	210611	225044	239194	254338



**औद्योगिक श्रेणी में वैद्युत ऊर्जा खपत का पूर्वानुमान  
2015-16 से 2019-20 तक (सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दिल्ली	4407	4758	5137	5546	5989
हरियाणा	15127	17347	19227	21223	23333
हिमाचल प्रदेश	5621	5964	6326	6710	7116
जम्मू व कश्मीर	1393	1560	1747	1957	2191
पंजाब	18103	19922	21082	22271	23530
राजस्थान	15476	17388	19522	21902	24558
उत्तर प्रदेश	24226	27324	30673	34285	38295
उत्तराखण्ड	5371	5691	6029	6387	6767
चंडीगढ़	381	402	424	448	473
उत्तरी क्षेत्र	90106	100355	110167	120729	132253
गोवा	2151	2327	2518	2723	2944
गुजरात	36308	39487	42544	45693	49077
छत्तीसगढ़	7876	8480	9119	9806	10544
मध्य प्रदेश	12475	14292	15953	17444	19076
महाराष्ट्र	51153	58817	60100	65134	70620
दादर नागर हवेली	5108	5415	5740	6085	6450
दमन एवं दीव	2000	2130	2264	2405	2556
पश्चिमी क्षेत्र	117071	130948	138238	149291	161268
आंध्र प्रदेश	28144	30777	33659	36813	40264
कर्नाटक	13458	14799	15830	16937	18128
केरल	5244	5504	5748	5993	6249
तमिलनाडु	35700	38837	42242	45938	49949
पुडुचेरी	1412	1446	1482	1518	1557
दक्षिणी क्षेत्र	83958	91363	98960	107199	116147
बिहार	5468	6049	6684	7378	8144
झारखण्ड	14750	15762	16773	17849	18996
ओडिशा	14884	15562	16160	16808	17525
पश्चिम बंगाल	27165	29672	32428	35462	38800
सिक्किम	55	64	69	75	79
पूर्वी क्षेत्र	62322	67109	72114	77572	83544
असम	1815	1962	2116	2276	2445
मणिपुर	82	94	106	118	132
मेघालय	1040	1123	1232	1347	1435
नागालैंड	22	25	27	30	33
त्रिपुरा	103	115	128	142	157
अरुणाचल प्रदेश	109	122	134	147	162
मिजोरम	64	73	83	94	107
पूर्वांचल क्षेत्र	3236	3514	3825	4154	4472
अंडमान-निकोबार	14	16	17	18	20
लक्षद्वीप	2	2	3	3	3
अखिल भारत	356709	393306	423324	458967	497705

**अन्यों में वैद्युत ऊर्जा खपत  
2015-16 से 2019-20 तक (सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दिल्ली	3789	4009	4242	4489	4750
हरियाणा	2673	2918	3180	3460	3765
हिमाचल प्रदेश	891	943	997	1054	1113
जम्मू व कश्मीर	1976	2213	2479	2776	3109
पंजाब	1911	2077	2237	2408	2593
राजस्थान	4840	5270	5645	5982	6339
उत्तर प्रदेश	4212	4558	4898	5229	5585
उत्तराखण्ड	471	503	537	574	613
चंडीगढ़	136	142	149	156	163
उत्तरी क्षेत्र	20899	22632	24363	26127	28031
गोवा	373	394	415	435	457
गुजरात	3862	4096	4325	4566	4823
छत्तीसगढ़	2224	2366	2526	2681	2791
मध्य प्रदेश	12873	14062	15363	16789	18351
महाराष्ट्र	10625	11599	12637	13756	14978
दादर नागर हवेली	16	17	18	19	20
दमन एवं दीव	9	10	11	12	13
पश्चिमी क्षेत्र	29983	32544	35294	38258	41433
आंध्र प्रदेश	7415	7822	8252	8708	9187
कर्नाटक	7433	7783	8116	8440	8784
केरल	1133	1201	1272	1346	1425
तमिलनाडु	3614	3810	4014	4228	4453
पुडुचेरी	117	124	132	141	150
दक्षिणी क्षेत्र	19712	20740	21786	22863	23999
बिहार	3037	3375	3750	4168	4633
झारखण्ड	1660	1747	1832	1922	2016
ओडिशा	2518	2781	2990	3208	3464
पश्चिम बंगाल	2818	2986	3167	3360	3568
सिक्किम	86	96	103	115	126
पूर्वी क्षेत्र	10118	10985	11842	12772	13806
असम	695	747	801	859	921
मणिपुर	134	148	162	178	195
मेघालय	216	227	237	249	261
नागालैंड	111	127	140	153	169
त्रिपुरा	195	209	224	241	258
अरुणाचल प्रदेश	74	83	91	100	110
मिजोरम	112	124	141	154	167
पूर्वांतर क्षेत्र	1538	1664	1797	1933	2081
अंडमान-निकोबार	50	53	56	59	62
लक्षद्वीप	1	1	1	2	2
अखिल भारत	82302	88619	95140	102014	109413

**वैद्युत ऊर्जा खपत का कुल पूर्वानुमान**  
2015-16 से 2019-20 तक (सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दिल्ली	29702	31900	34270	36827	39587
हरियाणा	41333	45629	49491	53477	57705
हिमाचल प्रदेश	8810	9350	9905	10492	11113
जम्मू व कश्मीर	6985	7823	8762	9813	10991
पंजाब	54427	59693	62808	65570	68478
राजस्थान	56429	62248	67887	73539	79707
उत्तर प्रदेश	94729	108379	120612	132085	144669
उत्तराखण्ड	9974	10600	11265	11974	12729
चंडीगढ़	1739	1841	1948	2062	2182
उत्तरी क्षेत्र	304129	337461	366947	395840	427162
गोवा	3827	4130	4437	4759	5104
गुजरात	81983	89137	96352	103948	112146
छत्तीसगढ़	18537	20051	21566	23151	24800
मध्य प्रदेश	52385	58995	64906	70323	76213
महाराष्ट्र	125525	138599	145340	156061	167639
दादर नागर हवेली	5260	5588	5931	6293	6678
दमन एवं दीव	2161	2307	2455	2612	2779
पश्चिमी क्षेत्र	289680	318806	340986	367147	395358
आंध्र प्रदेश	99392	108356	117592	127616	138494
कर्नाटक	61290	66088	70692	75393	80459
केरल	20979	22410	23756	25126	26581
तमिलनाडु	91088	98245	105984	114367	123460
पुडुचेरी	2612	2716	2815	2915	3016
दक्षिणी क्षेत्र	275362	297816	320839	345417	372009
बिहार	18782	21767	25025	28815	33237
झारखण्ड	21772	23474	25307	27073	28966
ओडिशा	26222	27794	29228	30723	32367
पश्चिम बंगाल	53231	58674	64228	69810	75819
सिक्किम	346	380	403	442	469
पूर्वी क्षेत्र	120353	132088	144192	156863	170859
असम	6672	7203	7779	8386	9036
मणिपुर	680	807	941	1084	1250
मेघालय	1647	1764	1908	2059	2186
नागालैंड	513	567	626	687	754
त्रिपुरा	991	1098	1197	1298	1408
अरुणाचल प्रदेश	314	355	390	429	472
मिजोरम	590	692	773	845	921
पूर्वात्तर क्षेत्र	11407	12486	13615	14788	16026
अंडमान-निकोबार	275	296	319	343	369
लक्षद्वीप	39	42	44	47	49
अखिल भारत	1001244	1098995	1186942	1280444	1381833

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-867

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

बिजली क्षेत्र में सुधार

867. श्री रामदास अठावले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली क्षेत्र में सुधार करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): सरकार द्वारा देश में विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई स्कीमें अनुबंध में हैं।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विद्युत क्षेत्र में बेहतरी तथा सुधार के लिए शुरू की गई स्कीमें

1. पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) :

पुनर्गठित एपीडीआरपी को, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ बनाने और वितरण क्षेत्र के सुदृढीकरण के लिए 51,577 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय सहित 31.07.2008 को केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम में 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों-नगरों और शहरों को शामिल किया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जाती हैं। भाग 'क' बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख तथा वार्षिक ऊर्जा इनपुट 350 एमयू) के लिए ऊर्जा/लेखापरीक्षा और स्काडा हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली स्थापित करने के लिए है जबकि भाग 'ख' नियमित वितरण उन्नयन एवं सुदृढीकरण परियोजनाओं के लिए है। आरंभ में दोनों भागों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निधियां ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। भाग 'क' परियोजनाओं के लिए ऋण की समग्र राशि को परियोजना के पूरा होने पर अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और भाग 'ख' परियोजनाओं के ऋण का 50% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%) तक का भाग स्थाई आधार पर परियोजना क्षेत्र में 15% एटी एंड सी हानि होने पर अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा। भाग 'क' और भाग 'ख' दोनों परियोजनाओं के लिए पूर्णता अवधि मंजूरी की तारीख से पाँच वर्ष है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1412 नगरों को शामिल करते हुए 39,252 करोड़ रूपए के मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

2. राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ):

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में अवसंरचना को सुधारने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किए गए पूंजी कार्यों के लिए, सार्वजनिक और निजी, दोनों वितरण कंपनियों (डिस्कामों) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए जुलाई, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) की शुरुआत की। राष्ट्रीय विद्युत निधि 2 वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 के दौरान मंजूर की गई वितरण स्कीमों के लिए 25,000 करोड़ रूपए की राशि तक के ऋण संवितरण के 14 वर्षों में 8,466 करोड़ रूपए की कुल ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी। पात्रता हेतु पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार उपायों से जुड़ी होती हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधारों से जुड़े पैरामीटरों की प्रगति से जुड़ी होती है।

### 3. वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी):

राज्य के स्वामित्व वाले डिस्काम के वित्तीय पुनर्गठन की स्कीम को सीसीईए के अनुमोदन के पश्चात विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.10.2012 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अधिसूचित किया गया ताकि राज्य डिस्कॉम का टर्न-एराउंड हो सके तथा उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके। स्कीम में राज्य डिस्कॉम तथा राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के ट्रांजिशनल वित्त तंत्र के माध्यम से सहायता के साथ उनके ऋण की पुनः संरचना करते हुए वित्तीय टर्न अराउंड प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपाय शामिल हैं।

केंद्र सरकार आरएपीडीआरपी के अंतर्गत निर्धारित लॉस ट्रैजेक्टरी की सीमा से आगे, त्वरित एटी एंड सी हानि में कमी के द्वारा बचाई गई अतिरिक्त ऊर्जा के मूल्य के समतुल्य अनुदान के रूप में प्रोत्साहन तथा स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लिए गए दायित्व के लिए राज्य सरकार द्वारा मूल भुगतान के 25% की पूंजीगत प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करती है। डिस्काम द्वारा, 56,908 करोड़ रूपए की राशि के बॉण्ड्स जारी किए गए हैं तथा प्रतिभागी राज्यों में ऋणदाताओं द्वारा 51,204 करोड़ रूपए की एसटीएल का पुनः निर्धारण किया गया है।

### 4. अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यूएमपीपी):

विद्युत मंत्रालय ने, कोयला पिटहैड और तटीय स्थलों, दोनों स्थानों पर, 4000 मेगावाट एवं इससे ज्यादा (प्रत्येक) की क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास को सरल बनाने के लिए 2005-06 में पहल शुरू की। ये परियोजनाएं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए विकासकर्ताओं को अवार्ड की जाती हैं। अब तक चार यूएमपीपी (सासन, मुंद्रा, कृष्णापटनम एवं तिलैया) विकासकर्ताओं को अवार्ड किया जा चुके हैं।

परियोजनाओं में संपूर्ण निवेश विकासकर्ताओं द्वारा किया जाना होता है तथा इन परियोजनाओं के विकास में सरकार की कोई निधि शामिल नहीं होती है।

### 5. स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपीएस):

विद्युत मंत्रालय ने, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा- 63 के अंतर्गत प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत, भारत में उत्पादन केंद्रों से विद्युत की निकासी करने, पूलिंग केन्द्रों से भार केन्द्रों तक अन्य ग्रिड केन्द्रों को विद्युत का पारेषण करने तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के विकास की स्कीम प्रारंभ की है। आईटीपी के विकास के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) तथा आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीएल) को नियुक्त किया गया है।

परियोजनाओं में संपूर्ण निवेश विकासकर्ताओं द्वारा किया जाना होता है तथा इन परियोजनाओं के विकास में सरकार की कोई निधि शामिल नहीं होती है।

## 6. एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस):

सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों से "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस) का अनुमोदन किया है:

1. शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण;
2. शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
3. आरएपीडीआरपी के अनुमोदित परिव्यय को आईपीडीएस में ले जाने के द्वारा 12वीं एवं 13 वीं योजना के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीसीईए के दिनांक 21.06.2013 के अनुमोदन के अनुसार वितरण क्षेत्र को आईटी युक्त बनाना, वितरण नेटवर्क सुदृढीकरण ।

स्कीम से एटी एण्ड सी हानियों को कम करने में, आईटी सक्षम ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा प्रणाली की स्थापना में मीटरिकृत खपत पर आधारित बिल की गई ऊर्जा में सुधार तथा संग्रहण दक्षता में सुधार करने में सहायता मिलेगी ।

उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के संघटकों जिसमें शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की मीटरिंग भी शामिल है, के साथ वर्तमान स्कीम की अनुमानित लागत 32,612 करोड़ रूपए है जिसमें संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि में भारत सरकार की 25,354 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता की आवश्यकता शामिल है।

12वीं एवं 13वीं योजना के लिए आरएपीडीआरपी के रूप में सीसीईए द्वारा जून, 2013 में अनुमोदित वितरण क्षेत्र को आईटी युक्त बनाने के घटक तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण को इस स्कीम में शामिल कर लिया गया है तथा सीसीईए द्वारा अनुमोदित 44,011 करोड़ रूपए के स्कीम परिव्यय, जिसमें 22,727 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता शामिल है, को आईपीडीएस की नई स्कीम में ले जाया जाना है।

## 7. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

सरकार ने (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति की विवेकपूर्ण कार्यक्रमावली को सरल बनाने के लिए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को पृथक करने तथा (ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण तथा वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण और संवर्धन के घटकों के साथ " दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)" की स्कीम अनुमोदित की है।

उपर्युक्त दो संघटकों के लिए स्कीम की अनुमोदित लागत 43,033 करोड़ रूपए है जिसमें संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार की 33,453 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता की आवश्यकता शामिल है। इसके अतिरिक्त, बारहवीं एवं तेरहवीं योजना की आरजीजीवीवाई की चालू स्कीम को डीडीयूजीजेवाई में ग्रामीण विद्युतीकरण के पृथक घटक के रूप में शामिल किया गया है जिसके लिए सरकार 29,574 करोड़ की शेष राशि को आगे ले जाए जाने का पहले ही अनुमोदन कर चुकी है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-868

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

अनन्तपुर और कुरनूल का दक्षिण विद्युत वितरण  
कंपनी से अंतरण

868. श्री जेसुदासु सीलम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में यथा-उपबंधित और 20 फरवरी, 2014 को राज्य सभा में विधेयक के पारित होने के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार अनन्तपुर और कुरनूल को दक्षिण विद्युत वितरण कंपनी से पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी में अंतरित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, अनन्तपुर और कुरनूल जिले जोकि आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युत वितरण कंपनी लि. (एपीसीपीडीसीएल) के अधिकार क्षेत्र में आते थे उन्हें आंध्र प्रदेश दक्षिण विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एपीएसडीसीएल) को पुनः अंतरित किया जाना था। तदनुसार, ये जिले एपीसीपीडीसीएल से एपीएसपीडीसीएल (एपीएसपीडीसीएल) को पुनः अंतरित किए गए, न कि एपीएसपीडीसीएल से पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को। जहां तक अन्य मुद्दों का संबंध है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार दोनों राज्यों द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-869

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत सुधार

869. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने के लिए विद्युत सुधार शुरू करने जा रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा प्रेषण तथा वितरण नेटवर्क को सशक्त बनाने और कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फीडरों को पृथक करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, अधिनियम के प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न वैधानिक निकायों और उनके अंतर्गत परिभाषित संस्थाओं पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण उपभोक्ताओं सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार इस संबंध में राज्य के प्रयासों में मात्र सहायता करती है।

(ग) : राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार विद्युत आपूर्ति में होने वाली कमियों को पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठा रही है:

- (i) 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक 18वें विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) द्वारा प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए 1,18,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय स्रोतों सहित) की योजना बनाई गई है।

- (ii) 12वीं योजना के लिए 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइनों तथा 2,82,740 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की तुलना में 45,570 सीकेएम पारेषण लाइनों तथा 1,56,354 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।
- (iii) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी में सभी के लिए (पीएफए) चौबीस घंटे सातों दिन विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजनाएं तैयार करने की पहल की है।
- (iv) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा कृषि फीडरों को अलग करने के लिए सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना नामक दो नई योजना अनुमोदित की गई हैं।
- (v) पावर स्टेशनों के लिए प्लांट लोड फैक्टर में सुधार करने के लिए संबंधित राज्यों और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा पुराने विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) की योजना बनाई गई है।
- (vi) ताप संयंत्रों द्वारा वर्धित उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता में अंतर को कोयले का उत्पादन बढ़ाने और कोयले के आयात के माध्यम से पूरा किए जाने की योजना बनाई है।
- (vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा।
- (viii) राज्य वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की है।
- (ix) पर्यावरण तथा वन मंजूरी संबंधी मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-870

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों में कार्यरत श्रमिकों में सिलिकोसिस

870. श्री मोती लाल वोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश के 12 कोयला आधारित सरकारी और निजी विद्युत संयंत्रों में कार्यरत अधिकांश श्रमिक सिलिकोसिस की चपेट में आ चुके हैं;
- (ख) क्या इन सभी संयंत्रों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी;
- (ग) यदि हां, तो सरकार सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों की चिकित्सा और सहायता के लिए कौन से कदम उठा रही है;
- (घ) क्या सरकार अन्य कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में भी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करायेगी; और
- (ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : फैक्टरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत कोयला प्रज्वलित ताप विद्युत स्टेशनों में कार्य कर रहे श्रमिकों की व्यापक चिकित्सा जांच अनिवार्य है और सभी कोयला प्रज्वलित ताप विद्युत संयंत्रों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना पड़ता है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लि. (एमपीपीजीसीएल) के ताप विद्युत स्टेशनों में सिलिकोसिस के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है और एमपीपीजीसीएल के ताप विद्युत स्टेशनों के संबंधित अस्पतालों में एमपीपीजीसीएल के कर्मचारियों की नियमित चिकित्सा जांच की जा रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-871

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हेतु  
परिव्यय

871. श्री वी. पी. सिंह बदनौर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आम बजट 2014-15 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हेतु कितने परिव्यय की घोषणा की गई है;
- (ख) उपरोक्त योजना की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या इस योजना का केन्द्र बिंदु ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

- (क) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के लिए वर्ष 2014-15 बजट अनुमान 500 करोड़ रुपए है।
- (ख) और (ग) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) में ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और ग्रामीण विद्युतीकरण सहित फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण की परिकल्पना की गई है।

इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- i) मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को नई योजना में शामिल कर दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई की नई स्कीम के अंतर्गत 33453 करोड़ रुपए की अनुमोदित बजटीय सहायता के अतिरिक्त 12वीं एवं 13वीं योजना के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सीसीईए द्वारा पहले अनुमोदित की गई बजटीय सहायता को नई स्कीम में ले जाया जाएगा।
- ii) स्कीम में कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने की परिकल्पना की गई है, जिससे उच्च उत्पादकता और फार्म सुरक्षा होगी।
- iii) निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।
- iv) इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) नोडल एजेंसी है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-891

जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति

891. सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार एक समयबद्ध तरीके से देश में प्रत्येक घर को चौबीसों घंटे विद्युत उपलब्ध कराने का विचार रखती है;
- (ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया है; और
- (ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों एवं पारेषण प्रणालियों की स्थापना द्वारा सभी उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे (24x7) बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करने में राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है।

भारत सरकार ने अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में चौबीसों घंटे (24x7) सभी (पीएफए) को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है। इसका शुरुआत करते हुए आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के लिए, राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार किए गए हैं और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राज्य विशिष्ट दस्तावेजों की तैयारी हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

\*\*\*\*\*